

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(1) स.आ./चारा./09 / ३४३५-३४६। जयपुर, दिनांक: २१/०३.२००९

जिला कलेक्टर,
अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, भीलवाड़ा,
झौगरपुर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर,
नागौर, पाली, राजसमन्द एवं सिरोही।

विषय: — अभाव संवत् 2065 में अकाल प्रभावित क्षेत्रों में अनुदानित दर पर चारा वितरण के संबंध में दिशा निर्देश।

महोदय,

राज्य स्तरीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 05.02.2009 में लिए गये निर्णयानुसार उपरोक्त विषय में अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशुपालकों को अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के संबंध में विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के क्रम में पुनः निम्न प्रकार निर्देश जारी किये जाते हैं :—

- जिन जिलों में चारा डिपो खोले जाने की स्वीकृति दी गई है जिला कलेक्टर द्वारा डिपो का संचालन पंचायत, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, दुर्घट उत्पादक सहकारी समितियों को चलाये जाने की स्वीकृति दी ज्ञाए और यदि उक्त में से कोई ऐजेंसी डिपो संचालन हेतु उत्सुक न हो तो जिले में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से डिपो संचालन की अनुमति प्रदान की जाए। डिपो पर चारा संस्था द्वारा पड़ोसी राज्यों डिपो संचालन की अनुमति प्रदान की जाए। चारा वितरण करने से पूर्व चारे की विक्रय दरों बिना हानि के आधार पर किया जाए। चारा वितरण करने से पूर्व चारे की विक्रय दरों का निर्धारण इस विभाग द्वारा पूर्व में आपको प्रेषित की गई सहायता निर्देशिका में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप किया जाए। साथ ही आयात किये जाने वाले चारे पर राज्य निर्धारण करते समय दर में 10 रुपये प्रति किलो जोड़े जाकर दर का निर्धारण किया जाए तथा इसके अतिरिक्त डिपो संचालक को किसी प्रकार की चारे की छीजत यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विक्रय दर संस्थाओं को किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विक्रय दर संस्थाओं को किया जाए। चारा वितरण करने वाली संस्था द्वारा ही प्रशासनिक व्यय तथा तुलाई इत्यादि की व्यवस्था पर होने वाला व्यय संस्था द्वारा ही वहन किया जाएगा तथा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। डिपो का संचालन करने वाली संस्था को 50,000/- रुपये प्रति चारा डिपो के हिसाब से कार्यशील पूँजी के रूप में व्याज भुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाए इस हेतु राशि की मांग अविलम्ब विभाग को प्रेषित करावें।
- जिला कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि चारा डिपो से विक्रय किये जाने वलों चारे का प्रमाणीकरण समय-समय पर डिपो पर उपलब्ध आवश्यक रिकार्ड से कराते रहें तथा क्षेत्र में चारे की मांग को लेकर किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए।

चारा डिपो का निर्धारण एवं निरीक्षण

- चारा वितरण के लिए चारा डिपो की स्वीकृति जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाए, ऐसा अधिकारी अति कलेक्टर के स्तर से कम का नहीं हो।
- चारा डिपो का निरीक्षण जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि द्वारा 15 दिन में एक बार अवश्य किया जाए तथा निरीक्षण रिपोर्ट सहायता विभाग को भिजवाई जाए।
- चारे के वितरण की तस्दीक पटवारी अथवा सरपंच/उपसरपंच अथवा ग्राम सेवक से कराई जाए।

चारा डिपो के निरीक्षण बाबत

चारा डिपो संचालित किये जाने वाले स्थलों का समय समय पर जिला कलेक्टर/अति. जिला कलेक्टर, विकास अधिकारी, सम्बन्धित विभाग के अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार द्वारा निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण के लिए न्यूनतम मापदण्ड निम्न प्रकार से सुनिश्चित किये जाए।

1. तहसीलदार/विकास अधिकारी द्वारा उनके क्षेत्रों में संचालित केन्द्रों में से कम से कम 25 प्रतिशत केन्द्रों का माह में एक बार निरीक्षण किया जाए।
2. उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड में संचालित केन्द्रों में से कम से कम 10 प्रतिशत केन्द्रों का माह में एक बार निरीक्षण किया जाए।
3. अतिरिक्त कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा समिलित रूप से जिले में संचालित 5 प्रतिशत केन्द्रों का माह में एक बार निरीक्षण किया जाए।
4. जिला कलेक्टर द्वारा केन्द्रों के निरीक्षण हेतु कोई प्रतिशत तय नहीं किया गया है किन्तु राज्य सरकार यह अपेक्षा करती है कि वे भी अधिक से अधिक केन्द्रों का निरीक्षण करें।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश आपको ग्रेजित आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 5 में व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार चारा डिपो का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय
३०.८.२१/३०९
शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख शासन सचिव प्रथम/द्वितीय, माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, राज०, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज०, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज०, जयपुर
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज०, जयपुर
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर
6. संभागीय आयुक्त, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।
8. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।

शासन उप सचिव